कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– एफ( )सर्वे/उवस/2021–22/ 2865 दिनांक :– 2/07/21

निमित्त,

श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय :– अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

संदर्भ:– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन /2021 दिनांक 16.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक

	10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 90,000/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 02/06/2021 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 21,374/– रुपये दिनांक 02/06/2021 को ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष ओझा) IFS
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सम/

दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0, विपणन प्रभाग, जोधपुर मण्डल कार्यालय सेक्टर 12 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

OFFICE OF +A1:I34DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, SRIGANGANAGAR

PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Regional Chief Conservator of Forest, Bikaner
2	State/District/Forest Division to which the proposal relates	Rajasthan/Sriganganagar/Sriganganagar
3	Name of User Agency, nature of proposal	Indial Oil corporation Ltd,
4	Nature and category of proposal	Road
5	Proposal number	FP/RJ/ROAD/42790/2019
6	Extent of forest area involved	0.0488
7	Whether original of extension'	Original
8	If extension of leas, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	Nil
9	Date of 1st Stage clearance	16.04.2021
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz	
	(a) Compensatory Afforestation	90000
	(b) Additional Compensatory Afforestation	0
	(c) Penal Compensatory Afforestation	0
	(d) Catchment Area Treatment	0
	(e) Wildlife Management Plan	0
	(f) Additional charges for diversion of area filling under notified/protected area	0
	(g) Net Present Value	21374
	(h) Any other charges/levels (Penal NPV)	0
	Total	**111374**
11	Whether payment made through challan or otherwise. In case of online payment, details or challan	Online
12	Details of deposits	

S.No	Type of deposit {NPV/CA/IWMP/Others (specity)}	Whether by RTGS/DD/ NEFT (Specity)	UTR/ DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	NPV	RTGS	6142790499	21374	31.05.2021	Punjab National Bank	Union Bank of India Lodhi Complex New Delhi 110003
2	CA			90000			
			Total	**111374**			

(Ashutosh Ojha)IFS
Dy. Conservator of Forest
Sriganganagar

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :– एफ12(294)सर्वे / संमुवसं / 2021–22 / 5385 दिनांक :– 5-7-2021

निमित् :–

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान,
जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal–Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village –10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

संदर्भः–शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10)वन / 2021 दिनाकं 16.04.2021 एवं उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर का पत्र क्रमाकं एफ( )सर्वे / उवसं / 2021–22 / 2865 दिनांक 02.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 जयपुर दिनांक 16.04.2021 (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/42790/2019) द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन भूमि 0.0488 हैक्टर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :–

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग

		संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फ़ीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 90,000/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 02/06/2021 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 21,374/– रुपये दिनांक 02/06/2021 को ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

	वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। अण्डरटेकिंग संलग्न है।

संलग्न :– उक्तानुसार (दो प्रति)

भवदीय,

(राजेश कुमार जैन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

क्रमांक :– समसंख्यक/

दिनांक :–

प्रतिलिपी उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजेश कुमार जैन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर,
राजस्थान।

विषय :– अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

संदर्भः– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ( ) सर्वे / उवसं / 2021–22 / 2177 दिनांक 25.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

	कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 90,000/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 02/06/2021 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 21,374/– रुपये दिनांक 02/06/2021 को ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

	ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम-1998 के अन्तर्गत

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BB 247339

राजस्थान RAJASTHAN

26 FEB 2021

शपथ–पत्र

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

मनके विनय कुमार अग्रवाल शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड़ का अॅटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

मम मुद्रांक विक्रेता हमन्त आन्डेक सूरतगढ़ अनुज्ञा पत्र स. 51/ .
रजिस्टर क्रम संख्या 1707 दिनांक 05-06-2021
मुद्रांक वैल्यू व क्रमांक 100 ... मुद्रांक क्रेता के
नाम Indian oil corporation Ltd. जाति ....
पता Jodhpur
प्रयोजन Affidavit हस्ते क्रय की दशा में हस्ते के
नाम / पता ....
क्रेता / हस्ते के हस्ताक्षर by Rampratap Dhatarwal मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

PB 247339

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

11. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

12. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

14. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिकर

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

इंडियनऑयल
IndianOil
A Maharatna Company

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर 12, चौपसनी
हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर - 342008
फोन : +91 291 2711760 फेक्स : +91 291 2710422

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Indian Oil Bhawan, Sector - 12, Chopasni
Housing Board, Jodhpur - 342 008
Tel. : +91 291 2711760 Fax : +91 291 2710422

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019 दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बि...)
Senior Manager (Retail ...)
जोधपुर मण्डल कार्या...
Jodhpur Divisional O...
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि...
Indian Oil Corporation ...
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil
A Maharatna Company

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर 12, चौपसनी
हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर - 342008
फोन : +91 291 2711760 फेक्स : +91 291 2710422

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Indian Oil Bhawan, Sector - 12, Chopasni
Housing Board, Jodhpur - 342 008
Tel. : +91 291 2711760 Fax : +91 291 2710422

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.
४

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019 दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

G.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C-S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल

IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019 दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में यह है प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008
Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019 दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विपणन प्रभाग : जोधपुर मण्डल कार्यालय
सेक्टर 12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर – 342 008

Indian Oil Corporation Limited
Marketing Division : Jodhpur Divisional Office
Sector - 12, Chopasni Housing Board, Jodhpur - 342 008

क्रमांक :– FP/RJ/ROAD/42790/2019

दिनांक :– 07-06-2021

Project Name: - Diversion of 0.0488 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal – Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Kila No. 13, At Village – 10 MC, Tehsil - Suratgarh, District – Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/42790/2019

Applied Area: – 0.0488 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (10) वन / 2021 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

विनय कुमार अग्रवाल
Vinay Kumar Agarwal
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Senior Manager (Retail Sales)
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
जोधपुर - 342 008 (राज. / Raj.)

(Vinay Kumar Agarwal)
Senior Manager (Retail Salas)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jodhpur Divisional Office,
Jodhpur - 342008

C.S.

आशुतोष ओझा IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर (राज.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-05-2021

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6142790499
MoEF/SG File No.	1(10)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Marketing Division, Jodhpur Divisional Office,Jodhpur
Amount(in Rs)	111374/-

Amount in Words :One Lakh Eleven Thousand Three Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856142790499 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through
even after 7 working days, then kindly mail a copy
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print

2/6/2021

ions.

Rajasthan Government Forest Department,

Serial no. 1 (10) Forest / 2021 **Jaipur, Date- 16.04.2021**

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur. Subject: Diversion of 0.0488-hectare forest land in favour of Indian Oil Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal-Gopalsar VR between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Killa No. 13 at Village 10 MC Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar Raj. (FP / RJ / ROAD / 42790/2019) Reference: -Your letter F14 (363/36) 2020 / FCA / Primus / 16 dated 04.01.2021 Sir, Referenced under the above subject in the proposal, under the General Approval of Forest Protection Act 1980 by Indian Oil Corporation, Ltd., Murabba No. 159/43, Killa No. 13 at Village 10 MC Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar Raj. of approval has been sought for repatriation of 0.0488-hectare forest land for entry and exit of the proposed petrol pump in Sriganganagar. Diversion of 0.0488 in view of the guidelines issued in connection with general acceptance in Section-2 under the Forest Protection Act 1980 on the proposal submitted by the Nodal Officer Forest Protection Act forest land in favour of Indian Oil Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Diversion of 0.0488-hectare forest land in favour of Indian Oil Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Birdhwal-Gopalsar VR between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159/43, Killa No. 13 at Village 10 MC Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar Raj. (FP / RJ / ROAD / 42790/2019) provides in-principal approval with removal of trees subject to the following conditions including tree coverings: 1. There will be no change in the statutory status of forest land. 2. Reverted forest land will not be used for any other purpose. 3. During the construction and maintenance of the project by the Petitioner Department, no damage will be done to the flora and fauna of the surrounding area and all measures will be taken for their protection. 4. Trees to be planted in the repatriated area should not be cut without prior permission from the Forest Department. The trees planted in the said area will be of the forest department, on maturity. 5. No camp will be organized for workers / staff in the vicinity of the site / forest area proposed by the user agency. 6. LPG / kerosene oil will be supplied by the user agency to the laborers / staff working at the site during the construction work, so that there is no damage to the adjacent forests. 7. In addition to the forest land proposed by the user agency, the work of soil / stone cutting, or filling will not be done during the construction work on / from the surrounding forest land. 8. At its own expense by the user agency, use the petrol pump by placing tree guards at the vacant spots on both sides of the entry and exit routes and demarcating at least 2 feet high wall on the separator island between the two routes. It will be done in planting and preserving them. This plantation will be in addition to compensatory plantation. 9. In addition to the in-principal approval, user agency will submit F.R.A certificate. Only after due approval will be considered. 10. The user agency will follow all the rules, laws and guidelines applicable to the scheme in the present and future. 11. 100 trees will be planted and maintained by the user agency if they remove up to 10 trees and If more than 10 trees are found to be removed, then ten times the number of trees to be planted and maintained for 10 years at the expense of the user agency. For this, the amount will be deposited by e-challan generated by web portal OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) by the user agency, including the current rates. 12. User agency as per direction given in Writ Petition (Civil) 202/1995 under I. No. 566 of Hon'ble Supreme Court and Government of India letter No. 5-3 / 2007 - F.C. dated 05.02.2009 and letter 12-2 / 2010 - CAMPA dated 09.06.2016.will deposit the prescribed amount of net present value (NPV). According to the above instructions, the net present value and all other funds will be reimbursed by e-challan generated by the web portal of the ad hoc body of the Plantation Fund Management and Planning Authority, OSMFWP. After which a copy of the e-challan, back challan of the deposited amount / UTR number / photocopy of NEFT number along with a copy of the in-principle approval (including item wise details of the amount deposited) should be sent, after due approval. Will be considered. 13. The user agency will submit a certificate of commitment to the effect that if the NPV is from the competent level. If the rates increase, then the increased amount will be deposited by the user agency as per rules. 14. Monitoring of this permission granted by the State Government can be done by the concerned Regional Office, Ministry of Forest and Environment. 15. Government of India letter 7-23 / 2012 / FC dated 24.07.2013, the decision passed by the Hon'ble Green Tribunal on 07.11.2012 should be ensured in the case and the approval issued in the case will be published in the user agency in Hindi and English make sure to publish in one newspaper each letter and make copies of the approval issued to the local authorities, panchayat and municipal government officials within 30 days of receiving the approval.

Yours faithfully,

(B. Parveen) session secretary

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1 (4) वन/2021 जयपुर दिनांक:-16 April 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:--Diversion of 0.0488 ha. forest land in favour Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Lid. Retail Outlet on Birdhwal - Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159-43, Kila No. 13, at Vllage- 10 MC, Tehsil-Suratgarh District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/42790/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (363/36)2020/ एफसीए/प्रमुवस/16 दिनांक 04.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में मुरब्बा नं. 159/43, किला न. 13, ग्राम 10 एमसी, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0488 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0488 ha. forest land in favour Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Lid. Retail Outlet on Birdhwal - Gopalsar Road VR Between KM Stone No. 27-28 (Chainage: 27/165 to 27/200) LHS in Murabba No. 159-43, Kila No. 13, at Vllage- 10 MC, Tehsil-Suratgarh District- Sri Ganganagar, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/42790/2019) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरात ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव